

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम ज तामील
11 ⁷ / ₁₆	<p>पत्रावली भेज हुई। मजुलाय करिकेन उप/अनुपस्थित। पीतमीन अधिकारी दारे /अन्य कार्य में जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>19-9-16</u> को भेज हो। <i>ab</i></p>	
19 ⁹ / ₁₆	<p>वकील चादी उप। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील चादी आपइपउ रूप से सम्मन तलबाना भेजा छे। सम्मन तलबाना भेजा होने पर तलबी जरिफ सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 15-12-16 को भेजा हो। <i>ab</i></p>	
15/12/16	<p>पत्रावली भेज हुई। मजुलाय करिकेन उप/अनुपस्थित। पीतमीन अधिकारी दारे /अन्य कार्य में जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>13-2-17</u> को भेज हो। <i>ab</i></p>	
13 ⁹ / ₁₇	<p>पत्रावली भेज हुई। मजुलाय करिकेन उप/अनुपस्थित। पीतमीन अधिकारी दारे /अन्य कार्य में जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>27-4-17</u> को भेज हो। <i>ab</i></p>	
3-10-17	<p>इकजही भेजी देने पर पत्रावली आज भेज हुई। उप/अनुपस्थित। पीतमीन अधिकारी दारे /अन्य कार्य में जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>24-12-17</u> को भेज हो। <i>ab</i></p>	
24 ¹² / ₁₇	<p>पत्रावली भेज हुई। मजुलाय करिकेन उप/अनुपस्थित। पीतमीन अधिकारी दारे /अन्य कार्य में जाकर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>22-3-18</u> को भेज हो।</p>	

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>११^{०३}/_{१८}</p> <p>कार्यवाही का हुकम/अहकाम जज/अनुसूचित न्यायाधीश अधिकारी को द्वारा कार्य में लाना परामर्श अर्थात् कार्यवाही हेतु दिनांक... 11-06-18 को पेश हो।</p> <p>११^{०६}/_{१८} पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभिमान : न्याय भाषण इकाई - २०१८ के तहत कम्प्लेक्स अउटल लैंग केंद्र जयपुर में पेश हुई। वकील गरी ने दावा विश देते ज. पत्र पेश किया। ज. पत्र में अंकित किया कि पदकाउन उल्लाह जो ओर आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा न्यायालय से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः ज. पत्र स्वीकार कर तथा दावा पेश करने की अनुमति उदान करते हुए दावा विश की अनुमति उदान करें। वकील गरी का ज. पत्र स्वीकार करते हुए न्या दावा पेश करने की अनुमति उदान करते हूए दावा विश की अनुमति उदान की जाती है। उल्लाह में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही उल्लाह द्वारा स्टा पर प्रप किया जावे। पत्रावली फैलल शुमार होकर नम्बर ले कम हो तथा वाद तन्वील दायिल दफतर हो। नियम मजमे आम पुनर्था गया।</p> <p>रजिस्ट्रार अधिकारी खण्डेला (सीकर)</p>	